

16.03.18

पीठसीन अधिकारी के ट्रेनिंग पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक मनीराम जाटव की ओर से श्री प्रयाग माथुर अधिवक्ता उपस्थित। मेमो पेश।

राज्य द्वारा श्री बी०एस० बघैल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना गोहद के अपराध क्रमांक 22/18 अंतर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के साथ आवेदक के भाई संतोष जाटव का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन है और इस आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निराकृत हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से स्पष्ट है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि कथित अपराध से आवेदक का संबंध नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसे साजिशिन फंसाया गया है। आवेदक मजदूर पेश व्यक्ति है। लडकी दुर्गेश उर्फ पूजा जाटव ने अपने बयान में यह बताया है कि वह खुद आवेदक के पास गई थी और वह आवेदक मनीराम से प्रेम करती है और शादी करना चाहती है। आवेदक ग्राम घाटीगांव जिला ग्वालियर का निवासी होकर प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन की ओर से आवेदन का घोर विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 08.02.2018 को फरियादी धनसिंह जाटव की पुत्री दुर्गेश उर्फ पूजा जाटव 03:00 बजे अपनी मामी रेख जाटव के यहां घनश्यामपुरा बार्ड क्रमांक 01 गोहद में गई थी। वापिस नहीं आने पर धन सिंह के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई गई और उसमें मनीराम जाटव पर शंका व्यक्त की गई। मनीराम जाटव पूजा को शादी को झांसा देकर भितरवार भगा ले गया था। उसके बाद दिनांक 16.02.2018 को मनीराम एवं पूजा थाना गोहद में उपस्थित हुए जहां पूजा को दस्तयाब किया गया।

पूजा के पुलिस कथन में उसने स्वयं मनीराम को पसंद करना और उससे शादी करना चाहना तथा उसके साथ जाना बताया है। धारा-164 दं०प्र०सं० के कथन में उसने यह बताया है कि वह मनीराम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। वह अपनी मर्जी से मनीराम के साथ चली गई थी और वहां से वे लोग स्वयं ही वापिस आए थे। इस मामले में पूजा की जन्म दिनांक 01.08.2000 बताई गई है, इस प्रकार पूजा की आयु 18 वर्ष

से कम से प्रथम दृष्टि में अपराध विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का है। उक्त अपराध अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त मनीराम दिनांक 17.02.18 से अर्थात् लगभग एक माह से निरोध में है।

मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों आदि को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप उसका जमानत आवेदन स्वीकार किया गया।

अतः अदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक मनीराम की ओर से 50,000/-रुपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जावे तो उसे निम्न शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जावे:-

1. आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेंगे।
2. अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरण या धमकी देगा।
3. फरार नहीं होंगा
4. विचारण में सहयोग करेगा।
5. विचारण के दौरान अभियुक्त समान अपराध कारित नहीं करेगा।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किया जाता है कि तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

केस डायरी आदेश की प्रति के साथ वापिस की जावे।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर भेजी जावे।

नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।

(मोहम्मद अजहर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी देता प्रतिलिपि अमानत
(शासकीय / विधिक उपयोग के लिए)